न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :— 30/2020

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह 2. उदयसिंह पुत्र हनुमानसिंह जातियान राजपूत, निवासीगण राजपूतों का बास बरना, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.		1. हनुमानसिंह पुत्र जीवनसिंह 2.. भंवरकंवर पत्नी हनुमानसिंह 3. शम्भूसिंह पुत्र हनुमानसिंह जातियान राजपूत निवासीगण राजपूतो का बास बरना तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर 4. सरकार जरिये तहसीलदार/ उप पंजीयन अधिकारी बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

— — — — —

उपस्थितिः— प्रार्थीगण की ओर से श्री बी.आर. विश्नोई एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री बी.एस. सोढा एडवोकेट।
अप्रार्थी संख्या 4 सरकारी पैरोकार।

:: आदेश :: दिनांक

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 3 पिता पुत्र है, जिनकी सयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम बरना की सरहद में स्थित है, जिसके खाता संख्या 953 खसरा नम्बर 912 रकबा 2.5484 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 964 रकबा 1.3510 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 512 खसरा नम्बर 830 रकबा 3.8104 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/2 रकबा 0.8090 हैक्टेयर जिस पर [illegible] प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 अपने हिस्से अनुसार कब्जे काश्त कर रहे है। पुश्तैनी कृषि भूमि होने से

फैमिली सेटलमेन्ट के तहत प्रार्थीगण भी अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के साथ–साथ मौके पर वादग्रस्त आराजी में कब्जे काश्त में है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी कषि भूमि होने से एवं मौके पर अपने हक व हिस्से अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के साथ कब्जे काश्त में होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। वादग्रस्त आराजी पर पीढियों से कब्जे काश्त होने से एवं वर्तमान पीढी में प्रार्थीगण द्वारा कृषि कार्य उपरोक्त आराजी पर निरन्तर करते रहने से प्रथम दृष्टया एव सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अभी हाल ही में अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को किसी अन्य अजनबी खरीददार को असम्यक् प्रभाव में आकर एलानिया धमकी दी कि कालान्तर में वादग्रस्त आराजी का सम्पूर्ण रकबा बिना किसी जायज आवश्यकता के किसी अजनबी खरीददार को कृषि भूमि बैचान कर प्रार्थीगण को जबरन वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर उक्त आराजी का भौतिक कब्जा काश्त किसी अन्य अजनबी खरीददार को करवा देगा। उक्त धमकी प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम बरना में दिनांक 09.07.2020 को सुबह करीब 10 बजे एलानिया रूप से दी गई, जिसक वजह से उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् जारी करने अस्थाई निषेधाज्ञा का करना पड़ रहा है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमाई जावे कि राजस्व मूल वाद के निस्तारण के दौरान वादग्रस्त आराजी का हस्तान्तरण किसी अन्य अजनबी को नही करे एवं बैचान विलेख प्रस्तुत किये जाने की अवस्था में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत बैचाननामे का निष्पादन स्वीकार नही करे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री भागीरथ सिंह सोढा अधिवक्ता ने मूल पत्रावली में वकालतनामा पे”ा किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पैरा [illegible] का जवाब है कि प्रार्थीगण ने न्यायालय में दावा पेश अवश्य किया परन्तु उक्त वाद किसी भी सूरत

में चलने योग्य नही है। क्योकि स्वअर्जित सम्पति को प्रार्थीगण ने पैतृक सम्पति बताकर कार्यवाहो की है। बैचान रजिस्ट्री किये ही लम्बा समय व्यतीत हो चुका है एवं उक्त दस्तावेजों से ही वाद पोषणीय नही है। पैरा संख्या 2 का जवाब है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की जायन्दा संतान है एवं अप्रार्थी संख्या 3 भी उक्त अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की जायन्दा पुत्र है एवं अप्रार्थी संख्या 4 सरकार है। पैरा संख्या 3 का जवाब है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी 1 से 3 का सजरा खानदान इस प्रार्थना पत्र में पैरा संख्या 3 में लिखने का अंकन किया है, परन्तु सजरा खानदान पेश नही किया है। वादग्रस्त भूमि को गलत रूप से पैतृक कृषि भूमि बताया गया है एवं वास्तविक तथ्य को छुपाकर गलत तथ्य पेश कर न्यायालय को गलत राय बनाने हेतु शपथ पत्र सहित मिथ्या कार्यवाही पेश की गई है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 में दण्डनीय अपराध है। जिसके लिये अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अलग से कार्यवाही करनी पड़ेगी। प्रार्थीगण स्वयं को अप्राथी संख्या 1 व 2 ने पालन पोषण क बड़ा किया, पढाया लिखाया। शादी करवाई एवं उनकी संतानों को भी पढाया लिखाया एवं शादी का खर्चा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ही करते आ रहे है और वर्तमान में भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ही प्रार्थीगण की संतान का पालन पोषण करते आ रहे है। वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 30 जो मांगीलाल पुत्र नैनुलालजी जाति ओसवाल निवासी बरना से अप्रार्थी संख्या 2 भंवरकंवर ने 1/2 व भंवरसिंह पुत्र विजयसिंह को 1/2 हिस्सा दिनांक 04.06.1988 को खरीद किया एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया तब से अप्रार्थी संख्या 2 व उनके पति प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि पर निजी हैसियत से काबिज है। इसी खसरा नम्बर 830 का 1/2 हिस्सा जो भंवरसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत ने खरीद किया था। उक्त भूमि को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा दिनांक 23.07.2004 को बैचान अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित करवाया एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया। जिनकी फोटो प्रतियॉ जवाब के साथ संलग्न है। खसरा नम्बर 912/2 रकबा 5 बीघा का 7/8 हिस्सा रा[illegible] संख्या 2 भंवरकंवर के पक्ष में दिनांक 22.06.2009 को बैचान [illegible] करवाया एवं इसी भूमि का शेष

रहा 1/8 हिस्सा हड़मानराम ने अप्रार्थी संख्या 2 भंवरकंवर के पक्ष में दिनांक 29.06.2009 को बैचान निष्पादित करवाया एवं जिनका राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 की निजी सम्पति को प्रार्थीगण ने पैतृक सम्पति बताकर जो दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है वह पूर्णरूप से गलत एवं विधि विरूद्ध कथन कर आपराधिक कृत्य किया है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संतान होते हुए भी एवं उक्त प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में ग्राम बरना के ही खसरा नम्बर 965 व 966 जिनका कुल रकबा 3.3250 हैक्टेयर है। उनके नाम अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने पहले ही करवा रखा है। ऐसी स्थिति में यह प्रथम दृष्टया साबित है कि प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जो प्रार्थीगण के पिता व माता है के विरूद्ध ऐसी विधि विरूद्ध कार्यवाही की है। जिसे प्रार्थीगण का आचरण प्रथम दृष्टया ही अपने माता–पिता के प्रति कर्तव्य निर्वहन का नही है। पैरा संख्या 4 का जवाब है कि वादग्रस्त भूमि जो बैचान की गई है। उक्त भूमि अप्रार्थी भंवरकंवर की खरीदसुदा है एवं पुश्तैनी होने का कथन गलत किया है। प्रथम दृष्टया ही उक्त भूमि पैतृक भूमि नही है। पैरा संख्या 5 का जवाब है कि वादग्रस्त भूमि जो भंवरकंवर के नाम से है जो उनकी खरीदसुदा है। जिस पर प्रार्थीगण का कथन कि पीढियों से उनके कब्जे काश्त में है पूर्णरूप से गलत है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 दोनो वृद्ध व बीमार है दोनो का इलाज जोधपुर में चल रहा है एवं उनके विरूद्ध उनकी संतान प्रार्थीगण द्वारा कार्यवाही करने पर जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को मानसिक ठेस पहुचा एवं जो उन्हे दुख हुआ है, जिसका आंकलन किया जाना ही मुश्किल है। अन्त में जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि उपरोक्त ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 912 रकबा 2.5484 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 964 रकबा 1.3510 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 हडमानसिंह के नाम से दर्ज है तथा ग्राम बरना के खसरा नम्बर 830 रकबा 3.8104 हैक्टेयर,

खसरा नम्बर 912/2 रकबा 0.8090 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 2 भंवरकंवर के नाम से दर्ज है। लेकिन उपरोक्त भूमि पहले जीवनसिंह वल्द धुलसिंह कोम राजपूत के नाम से खातेदारी में दर्ज थी। जो प्रार्थीगण के दादा थे, इसलिए उक्त भूमि पु”तैनी है एवं वादी द्वारा घोषणा खातेदारी हेतु वाद पे”ा किया गया है। जिसका निर्धारण नियमित वाद में सम्यक् सुनवाई के पश्चात् ही किया जा सकता है एवं वाद के विचारण के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि का बैचान हस्तान्तरण किया जा सकता है। अतः उपरोक्त भूमि होने तथा प्रार्थीगण का कब्जा का”त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन दोनो बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में बनते है एवं उपरोक्त भूमि का अप्रार्थीगण द्वारा बैचान/हस्तान्तरण कर दिया जाता है तो वाद में पैचिदगिया बढ़ेगी तथा प्रार्थीगण अपने हक हिस्से की भूमि से वंचित हो जायेगी जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिए अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है।

—:: आदे”ा ::—

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान का”तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो राजस्व ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 912 रकबा 2.5484 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 964 रकबा 1.3510 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 830 रकबा 3.8104 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 912/2 रकबा 0.8090 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड की मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थी संख्या 4 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा उपरोक्त भूमि के सम्बंध में प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नही करे। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:13:41 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा